बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–124 / 2022 1412 / पटना, दिनांक– 08/09/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04– 105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

SL.No	Name of Division	Project ID	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaram-1	10301003015	Sasaram	Rampur Dumariya Main Road To Ugar Bigha Nirmalpur	3.540	121.13000	35.42600	12.11300	168.66900
2	Sasaram-1	13101035617	Sasaram	Lambardar Sarda Gate to Petrol Pump Via Gokulam School	1.600	68.60700	9.89300	6.86100	85.36100
3	Sasaram-1	10301002250	Sasaram	L059-Amara-Babhanpurwa Road To Belwa	2.260	71.42500	22.77800	7.14300	101.34600
4	Sasaram-1	NEA220002795	Chenari	PMGSY (Khadauli Kabristan) To Doyian Via Ganeshpur Tetri Mamrejpur	6.325	205.90200	67.72600	20.89800	294.52600
5	Sasaram-1	13101294297	Kochas	NH 30 To Lakdi Pakdi	6.860	226.87300	32.68000	22.68800	282.24100
6	Sasaram-1	13101294296	Kochas	Usraw Badhari Road To Nimiya Purhara	3.880	125.78900	18.89600	12.57900	157.26400
7	Sasaram-1	13101294293	Kochas	Kathrai To Athwaliya	4.090	123.96100	19.87900	12.39700	156.23700
8	Sasaram-1	10301002287	Kochas	Sasaram Chausa Road To Kanjar	12.500	393.05500	60.64400	39.30500	493.00400
9	Sasaram-1	13101294294	Kochas	NH – 30 To Ojhwaliya	1.950	60.97300	16.55600	6.09700	83.62600
10	Sasaram-1	13101294295	Kochas	Sawan Bhar To Akodha	3.950	97.03700	9.42100	9.70400	116.16200
11	Sasaram-1	13101288695	Kochas	Khuchila Road To Khaira Ojhwaliya	4.200	135.10800	22.03700	13.51100	170.65600
12	Sasaram-1	NEA220002800	Sheosagar	Ramdehari To Nimiya	2.100	73.69100	19.51400	7.36900	100.57400
13	Sasaram-1	NEA220002798	Sheosagar	Silari To Saina	3.000	102.60000	31.82600	10.26000	144.68600
14	Sasaram-1	NEA220002797	Sheosagar	Langer Kaiket To Ramkaiket	3.000	106.85400	32.77200	10.68500	150.31100

8/6/9/2022

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

SL.No	Name of Division	Project ID	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8
15	Sasaram-1	10301002184	Sheosagar	Silari To Bhagwaliya	2.233	75.88800	23.25500	7.58900	106.73200
16	Sasaram-1	13101894981	Kargahar	Kharhana More To Gareya	5.125	158.81400	56.52800	15.88200	231.22400
17	Sasaram-1	10301002300	Kargahar	L098 To Bhagwanpur (ODR71)	2.300	69.49500	25.83600	6.95000	102.28100
18	Sasaram-1	10301102077	Kargahar	Pahari To Senduar	4.720	152.13100	51.93500	15.21300	219.27900
	Total				73.633				3164.17900

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, सासाराम–1** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–124/2022** में दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 6.9.2022 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–124/2022** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

8
6/9/2022

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 01–124 / 2022 के पृ0–07/ टि0 पर दिनांक–24/8/22 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8/6/9/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–124 / 2022 1410 / पटना, दिनांक– 08/09-22

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/9/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–124 / 2022 1412 / पटना, दिनांक– 08/09/22

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त, / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / **मुख्य अभियंता–1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **सासाराम–1** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/6/9/2022

विशेष सचिव